चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता / 812
दिनांक : 18 जून, 2008

सचिव,
यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी,
मुरादनगर (गाजियाबाद)

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–105 / सत्तर–2–2008–2 (576) / 2007, दिनांक 14.05.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, मुरादनगर (गाजियाबाद)** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम (पूर्व से संचालित दो सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक एंव कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार **यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड टैक्नोलॉजी, मुरादनगर (गाजियाबाद)** को **बी0बी0ए0** पाठ्यक्रम (पूर्व से संचालित दो सैक्शन) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन **दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता** की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।

उप कुलसचिव

संख्या-105/सत्तर-2-2008-2(576)/2007

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊःदिनांकः 14 म. 08

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःसम्बद्धता/2122, दिनांक 29 सितम्बर, 2007 एव पत्रांकःसम्बद्धता/2915, दिनांक 24-12-2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, मुरादनगर, गाजियाबाद को बी0बी0ए0 पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है:-

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

संख्या-105(1)/सत्तर-2-2008-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(3) सचिव/प्रबन्धक, यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेण्ट एण्ड टैक्नोलॉजी, मुरादनगर, गाजियाबाद।
(4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।